

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

कानून कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2002 (आषाढ 25, 1924)

समय 10.30 बजे तिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मोटरस्यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 1 सन् 2002) पटल पर रखेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्रीमती जमुनादेवी, उप मुख्यमंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अधिसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक, निःशक्त जन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.2000 से 31.3.2001) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री हरवेंद्र सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वृक्षों का परिषक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) की धारा 24 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-4-2001-क्स-3, दिनांक 11 अप्रैल, 2002 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संकाय, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-50-2000-सात-शा-6, दिनांक 15 मई, 2002 तथा तत्संबंधी शुद्धि-पत्र, दिनांक 11 जून, 2002 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री हुकुम सिंह कराडा, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (5) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कंपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (5) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे।

(6) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (5) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एम्बेन्टल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कंपोरेशन लिमिटेड का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे।

(7) श्री के.पी. सिंह, ग्राम्योदय मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (5) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरदा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे।

4. फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्ण स्थगित हो जाने के फलास्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना।

5. नियम 267-के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र में सबन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना।

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विवेयकों की सूचना।

7. नियम 138 (1) के अधीन व्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकौल शर्मा, बाबूलाल गीर, डॉ. सीतासरन शर्मा, सवस्य, आकुआ जिले की जोड़ट उप जेल से अनेक कैदी फरार होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लक्ष्मीकौल शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सवस्य, सीहोर जिले के खाचरौद ग्राम पंचायत के सरपंच सहित उसके परिवार की हस्ता किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

—२—

८. सम्भाषणी लालिका की ओरपा.

१०. राज्यपरमेश्वी, सामान्य प्रशासन का विषय

श्री घनस्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, विनोक 12 अप्रैल, 2002 को पूछे गये परिवर्तित अतारकित प्रेस संख्या 105 (क्रमांक 7046) के उत्तर में संझोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

१०. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) संसोधन विधेयक, 2002 (क्रमांक 13 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक परःस्थापित करेंगे।

(2) श्री हरवंदा सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरस्ट्राइल कराधान (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 14 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक परःस्थापित करेंगे।

11. नियम 139 के अधीन अधिकारीय दोष सदस्य के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह लोमर, लालीकीरत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र बिरथरे, नरोत्तम मिश्रा, हरीशंकर जायसवाल (हरि धैया), सदस्यगण चर्चा उठायेंगे।

(2) प्रदेश में अधिकृत विद्युत कंपनी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कमल पटेल, डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री अजय विज्ञोई, नरेन्द्र सिंह तोमर, नरेन्द्र बिरथरे, नरोत्तम मिश्रा, लक्ष्मीकृत शर्मा, कैलाश विजयवर्णीय, लाल सिंह, लक्ष्मणसिंह गौड़, हरीशंकर जायसवाल (ठिर भैया), सदस्यगण चर्चा उठायेंगे।

३७५ इन २०१९-२०२० के साल में डॉ. प. के. पटाखी द्वारा अधिकारी तथा अधिकारी विषयों पर लिखे गए अन्यत्र अवलोकन और विवरण आपके उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

मिनांक : 15 अगस्त, 2002 अनुमति क्र. (अ) (E) सचिवालय संघ.